यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, उत्तरकाशी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, उत्तरकाशी** के माह 05/2014 से माह 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री राज बहादुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दिनेश नरवरिया, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 28.10.2016 से 10.11.2016 तक श्री अविनाश चन्द्र कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्म पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-प्रथम

1. परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री भानू प्रताप सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक एवं श्री दया शंकर, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 15.05.2014 से 26.05.2014 तक श्री महेश तिवारी, लेखापरीक्षा अधिकारी, के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 10/2011 से माह 04/2014 तक के अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2014 से 09/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- इकाई द्वारा विभिन्न विभागों के योजनाओं का निर्माण डिपोजिट आधार पर किया जाता है।

(इकाई द्वारा संचालित योजनाओं सहित क्रियाकलाप तथा भौगोलिक अधिकार क्षेत्र बताया जाए)

(II) (अ) विगत तीन वर्षों के बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	**प्रारम्भिक अवशेष**		**स्थापना**			**गैर स्थापना**		
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत /आधिक्य**	**आवंटन**	**व्यय**	**बचत /आधिक्य**
2014-15	NIL	1513.90	216.21	145.14	71.08	362.21	942.34	933.76
2015-16	NIL	933.76	227.56	150.78	76.78	1032.25	1184.16	781.85
2016-17 (Up to 09/2016)	NIL	781.85	168.90	78.15	90.75	454.42	828.55	407.72

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(धनराशि ` लाख में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**2014-15**			**2015-16**		
		प्रा. अवशेष	**प्राप्ति**	**व्यय**	**प्रा. अवशेष**	**प्राप्ति**	**व्यय**
		NIL					

(यदि लेखापरीक्षा अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो सम्पूर्ण अवधि का बजट आवंटन एवं व्यय विवरण अंकित किया जाय)

(III) इकाई को बजट आवंटन जनपद में स्थित विभिन्न विभागों से योजनाओं के निर्माण के लिए तथा जिलाधिकारी कार्यालय से (स्रोत बताया जाए) द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ....अ..... श्रेणी (जिस श्रेणी के अंतर्गत इकाई आती है, उसे इंगित के जाए) की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः- सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग ⟶ मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग ⟶ अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग ⟶ अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड उत्तरकाशी।

(संगठनात्मक ढांचा सचिव से प्रारम्भ कर निचले स्तर तक प्रदर्षित किया जाए)

(IV) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः- लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, उत्तरकाशी** (अनुपालन लेखापरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार जिन-जिन इकाईयों की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी उन्हें अंकित किया जाय) को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, उत्तरकाशी** (जिस इकाई की लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी हो उसे अंकित किया जाय) की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2015 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय पंचकर्म बडकोट का निर्माण, हिमालयन संग्रहालय का निर्माण एवं विस्तारीकरण, उत्तरकाशी से लम्बगाँव मोटर मार्ग कि दिखोली बैंड किमी 37 से चौडियाल गॉव से तामकेश्वर मन्दिर मोटर मार्ग, लाखामंण्डल-भंकोली मोटर मार्ग के निर्माण, राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय नैटवाड, मोरी, ग्राम थाली दिचली की अनु. जाति बस्ती के बारातघर का निर्माण, वि.ख. चिन्यालीसौड में ग्राम धारकोट में बारातघर का निर्माण आदि (जिस योजना का चयन किया गया उसका नाम अंकित किया जाय) का विस्तृत विश्लेषण किया गया। (प्रतिचयन अधिकतम व्यय धनराशि) के आधार पर किया गया।

(V) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखपरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

3. अधीक्षण अभियन्ता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि में दिनांक 18.05.2015 से 20.05.2015 तक का निरीक्षण किया गया।

4. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः माह 09/2016 तक की गयी।

5. फार्म 51 माह 09/2016 तक कार्यालय महालेकाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है। जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत् है।

प्रथम भाग- ` (-) 10,60,235

भाग द्वितीय- ` 67,357

6. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 09/2016 के अन्त में

1- प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम - शून्य

2- सामग्री क्रय - शून्य

3- नगद परिशोधन - शून्य

4- निक्षेप - ` 11,86,58,459/-

5- भण्डार - शून्य

(इस भाग के विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्न प्रारूप में अंकित किया जाय)

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-दो(अ) प्रस्तर संख्या	भाग-दो(ब) प्रस्तर संख्या	STAN
05/2001-02	1	शून्य	शून्य
08/2002-03	1,2	शून्य	शून्य
121/2004-05	1,2,3	1,2,3	शून्य
43/208-09	1,2,3,4,5	शून्य	शून्य
55/2011-12	1	1	1
21/2014-15	1	1,2,3,4	शून्य

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
05/2001-02	II-A- 1 II-B-शून्य	अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या के संबंध में इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि अनुपालन आख्या तैयार कर उच्च अधिकारियों की संस्तुति के साथ महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।		
08/2002-03	II-A- 1 II-B- 1,2,3,4			
121/2004-05	II-A- 1,2,3 II-B- 1,2,3			
43/208-09	II-A- 1,2,3,4,5 II-B- शून्य			
55/2011-12	II-A- 1 II-B- 1 STAN-1			
21/2014-15	II-A- 1 II-B- 1,2,3,4			

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(इस भाग में इकाई द्वारा निष्पादित सबसे अच्छे कार्य (यदि कोई हों) जो लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आये है, उनका वर्णन किया जाय)

.....NIL.....

भाग दो 'अ'

प्रस्तर-1- निर्माण कार्यों हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित न किए जाने के परिणामस्वरूप निर्माण से संबन्धित धनराशि ` 99.43 लाख को लगभग तीन वर्षों की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी खंडीय स्तर पर अवरुद्ध रखा जाना!

ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, उत्तरकाशी के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखंड शासन के पत्रांक- 4471/XI/13/56 (31)/2008 दिनांक 21.11.13 के द्वारा '13वें वित्त आयोग कि संस्तुतियों के अंतर्गत आवासीय भवनों के निर्माण' योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि ` 31.20 करोड़ के सापेक्ष कुल 17 निर्माण कार्यों हेतु ` 761.42 लाख की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी थी तथा उक्त धनराशि फरवरी 2014 में इस प्रखण्ड को प्राप्त हो गयी थी !

उक्त 17 निर्माण कार्यों में से दो निर्माण कार्यों, आवासीय भवन -टाइप II (02), दोणी तथा सामुदायिक विकास सह बाज़ार केंद्र, दोणी, उत्तरकाशी हेतु क्रमशः ` 37.57 लाख तथा ` 61.86 लाख की धनराशि स्वीक्रत थी एवं उक्त शासनादेश के अनुसार उक्त निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराये जाने थे!

संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त के अनुपालन में प्रखण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास सह बाज़ार केंद्र, दोणी, उत्तरकाशी के निर्माण कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर का अनुबंध 06/ अधी. अभि./2014-15 दिनांक 19.09.14 धनराशि ` 54.66 लाख हेतु गठित भी किया गया ! जिसके अनुसार कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण होने की तिथियाँ क्रमशः 19.09.14 एवं 18.09.15 थीं परंतु निर्माण कार्यों हेतु वांछित भूमि के अभाव में प्रारम्भ न हो पाने के कारण अक्टूबर 2015 में बिना अर्थदण्ड के अधीक्षण अभियंता स्तर से निरस्त कर दिया गया ! तदुपरान्त लेखापरीक्षा के दौरान आगे पाया गया कि संप्रेक्षा तिथि (नवंबर 2016) तक उक्त दोनों निर्माण कार्य भवन निर्माण हेतु वांछित भूमि उपलब्ध न हो पाने के कारण प्रारम्भ भी नहीं किए जा सके थे एवं प्रखण्ड स्तर पर उक्त दोनों निर्माण कार्यों के निर्माण से संबन्धित धनराशि ` 99.43 लाख(`37.57 लाख +` 61.86 लाख) संप्रेक्षा तिथि (नवंबर 2016) तक लगभग तीन वर्षों की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी खंडीय स्तर पर अवरुद्ध रखी गयी है!

जबकि उक्त के संबंध में लेखा परीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर अधिशासी अभियंता द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि ग्राम्य विकास विभाग को हस्तांतरित भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किए जाने के परिणामस्वरूप उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किए जा सके एवं प्रखण्ड स्तर से ग्राहक विभाग को निर्विवाद भूमि उपलब्ध कार्ये जाने हेतु लिखा (दिसम्बर 2014) गया था तथा मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा नवंबर 2015 तथा

जनवरी 2016 में शासन स्तर से कार्य स्थल परिवर्तित करने हेतु लिखा गया है, कार्यस्थल प्राप्त होते ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाएंगे!

इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड VI के प्रस्तर 378 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि जब तक निर्माण कार्य हेतु वांछित भूमि उपलब्ध न हो कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जाना चाहिए ! जबकि प्रखण्ड स्तर पर विधिवत भूमि को अपने कब्जे में लिए बिना उक्त कार्य हेतु अनुबंध गठित करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया तथा भूमि विवादित होने के कारण उक्त अनुबंध को निरस्त करना पड़ा तथा निकट भविष्य में भी उक्त निर्माण कार्य प्रारम्भ किए जाने की कोई संभावना नहीं है!

अतः उक्त निर्माण कार्यों के निर्माण से संबन्धित धनराशि ` 99.43 लाख को लगभग तीन वर्षों की अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी खंडीय स्तर पर अनियमित रूप से अवरुद्ध रखे जाने संबंधी प्रकरण को प्रकाश में लाया जाता है!

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-1 निविदा प्रक्रिया के आधार पर कार्य निष्पादन के विपरीत ` 2.96 करोड़ की लागत के कार्य कार्यादेशों/ चयनित अनुबंधों के माध्यम से अनियमित कार्य निष्पादन पर ` 62.08 लाख का व्यय!

उत्तराखंड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 39 के अनुसार बिना निविदा आमंत्रित किए कार्यादेशों के माध्यम से ` 3.00 लाख तक की लागत के निर्माण कार्य निष्पादित कराये जा सकते हैं तथा आपात स्थितियों में ` 5.00 लाख तक की लागत के निर्माण कार्य कार्यादेशों के माध्यम से करवाए जा सकते हैं तथा इससे अधिक लागत के निर्माण कार्य उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के नियम 29 (IX) के अनुसार खुली निविदा प्रक्रिया अपनाते हुए ठेकेदारों का चयन करते हुए निर्माण कार्य निष्पादित कराये जाने चाहिए !

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, उत्तरकाशी के लेखा अभिलेखों की नमूना लेखा परीक्षा जांच (अक्तूबर-2016) में पाया गया कि शासनादेश संख्या 45/XII-2/2015/02(04)/15 दिनांक 17 मार्च 2015 के द्वारा ग्रामीण सड़कें एवं ड्रैनेज विभाग के अंतर्गत उत्तरकाशी से लंबगाँव मोटर मार्ग के दिखोली बैंड कि. मी. 37 से चौंडियात गाँव से तामेश्वर मंदिर मोटर मार्ग (लंबाई-2.10 कि.मी.) तथा लाखामंडल-भंकोली मोटर मार्ग के कि. मी. 02 से बलडोगखेड़ा बस्ती तक ग्रामीण मोटर मार्ग (लंबाई-1.05 कि.मी.) के निर्माण के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति क्रमशः ` 194.22 लाख तथा ` 101.66 लाख प्रदान की गयी थी !

संप्रेक्षा के दौरान पाया कि खंड स्तर पर उक्त दोनों ग्रामीण मोटर मार्गों के निर्माण का कार्य उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 29 (IX) का तथा उत्तराखंड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 39 के बिना अनुपालन किए ही बिना निविदा आमंत्रित किए ही कार्यादेश एवं चयनित अनुबंधों के द्वारा संपादित कराया जा रहा था संप्रेक्षा तिथि (नवम्बर 2016) तक उक्त दोनों निर्माण कार्यों पर ` 62.08 लाख का भुगतान संबन्धित ठेकेदारों को कार्यादेश/ चयनित अनुबंधों के अंतर्गत किया जा चुका था !

लेखा परीक्षा द्वारा उक्त के संबंध में इंगित किए जाने पर प्रखण्ड द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि सचिव, ग्रामीण निर्माण विभाग,उत्तराखंड के शासनादेश संख्या 85/XII-2/2015-02(06)/2015 दिनांक 15.06.15 तथा 98/XII-2 /2015 दिनांक 25.06.15 के द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण में उत्तराखंड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम 33 (छ) (3) के अनुसार विभागीय पद्धयति से निर्मित किए जाने के निर्देश थे जिसके अनुपालन में प्रखण्ड द्वारा कार्यादेश के माध्यम से कार्य प्रारम्भ किए गए तथा पुनः मुख्य अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा निर्माण

कार्य निविदा के द्वारा निष्पादित कराये जाने हेतु निर्देशित (दिसंबर 2015) किया गया उसके अनुपालन में जो कार्य कार्यादेश के माध्यम से कराये जा रहे थे उनको अब छोटे-छोटे जाब बना कर चयनित अनुबंधों के माध्यम से कराया जा रहा है !

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि विभाग के उक्त शासनादेश (25.06.15) में राज्य के वित्त विभाग द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2015 हेतु जारी मूल शासनादेश संख्या-80 (01/XXVII(7)/2008 दिनांक 15.06.2015 के प्रावधानों की यथानुरूप व्याख्या नहीं की गयी है तथा विभागीय सुविधानुसार तोड़ा-मोड़ा गया है ! ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा वित्त विभाग द्वारा जारी उत्तराखंड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2015 के जिस नियम 33 (छ) (3) को आधार माना गया वह प्रावधानित करता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में निविदा की प्रक्रिया को पूर्ण करने में उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए ` 1.50 करोड़ तक की लागत के कार्यों को विभागीय पद्धयति से कराये जा सकते हैं जबकि उक्त संशोधित नियमावली में कार्यादेश के माध्यम से निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए नियम 39 में प्रथक रूप से व्यवस्था दी गयी है कि "बिना निविदा आमंत्रित किए, कार्यादेश के माध्यम से ` 1.00 लाख के स्थान पर ` 3.00 लाख तथा आपात स्थिति में ` 5.00 लाख तक की लागत के कार्य करवाए जा सकते हैं ! अतः स्पष्ट है कि उत्तराखंड ग्रामीण विभाग द्वारा उत्तराखंड अधिप्राप्ति (संशोधन) नियमावली, 2015 में विभागीय कार्य पद्धयति (नियम 33) के संशोधित प्रावधानों को कार्यादेश (नियम 39) के तहत निष्पादित होने वाले कार्यों केलिए अनुचित रूप से परिभाषित करने का प्रयास किया गया है !

साथ ही इस प्रकरण के संबंध में विचारणीय बिन्दु ये भी हैं कि:

- वित्तीय व्यवस्थाओं व तत्संबंधी नीति निर्धारण के शासनादेश केवल वित्त विभाग से ही जारी होते हैं !
- प्रमुख सचिव, उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 1197/II (2)07-75 (सामान्य)/2000 दिनांक 24.02.2014 में यह स्पष्ट रूप से निर्देशित है कि अपरिहार्य परिस्थितियों में ही खंड के अधिशासी अभियंता ` 15.00 लाख तक की सीमा के अंदर चयनित अनुबंध गठित कर सकते हैं जबकि उक्त दोनों निर्माण कार्यों के सापेक्ष बिना निविदा प्रक्रिया अपनाए ही मनमाने ढंग से चयनित अनुबंध क्रमशः अनुबंध संख्या 18/अ.अ./ दिनांक 8.03.16 ` 39.85 लाख तथा अनुबंध संख्या 20/अ.अ./

दिनांक 15.03.16 ` 27.03 लाख के गठित करते हुए निर्माण कार्य निष्पादित कराया जाना उक्त शासनादेश के सर्वथा प्रतिकूल है !

अतः ` 2.96 करोड़ की लागत के कार्य का कार्यादेश/चयनित अन्यबंध के माध्यम से अनियमित व्यय ` 62.08 लाख का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है !

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- स्वायत निकाय के लिए निष्पादित किए जा रहे निक्षेप कार्यों पर ` 25.12 लाख के सेंटेंज प्रभारों का प्रावधान न किया जाना एवं ` 9.14 लाख सेंटेज प्रभारों को वसूल न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड-6) के प्रस्तर-15, 633 से 636 के प्रावधानों अनुसार जब किसी निर्माण कार्य का निष्पादन किसी स्थानीय निकाय, नगरपालिकाओं व अन्य लोक निकायों (Public Autonomous Bodies) की और से किए जाते तो खंडीय प्राधिकारी द्वारा उक्त के प्राक्कलनों में कार्य की लागत के साथ-2 वसूलनीय प्रतिशत प्रभारों (Centage Charges) को सम्मिलित करते हुए एक मुश्त अथवा किश्तों में अग्रिम के रूप में निक्षेप-राशियों प्राप्त करनी होती है। यह भी कि प्राप्त निक्षेप राशियों के लेखे तथा समायोजन मासिक रूप से कार्यों पर व्यय तथा सेंटेज प्रभारों के रूप में प्रथक-2 रूप से निक्षेप की सीमा के भीतर रखना होता है।

राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या - 163/XXVII/2007 दिनांक 22.05.2008 के माध्यम से ` 1.00 से ` 5.00 करोड़ की लागत के कार्यों पर प्रभारित किए जाने वाले सेंटेज चार्जेज की दर से 09 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड उत्तरकाशी के अभिलेखों की नमूना जांच (सितम्बर 2016) में पाया गया कि कार्यालय द्वारा नेहरू पर्वतारोहण संस्था (NIM) उत्तरकाशी में हिमालयन संग्रहालय का निर्माण एवं विस्तारीकरण का कार्य निष्पादित कराया जा रहा है। निम्नलिखित निक्षेप कार्य के लिए के निष्पादन हेतु न शासन द्वारा निर्धारित 09 प्रतिशत की दर से सेंटेज प्रभारों को वसूल किया जा रहा है और न ही उक्त के प्रावधानों को इन कार्यों के विस्तृत प्राकलनों में सम्मिलित किया गया था कार्य की लागत व उक्त पर वसूलनीय सेंटेज प्रभारों का विवरण निम्नवत हैः-

(धनराशि ` लाख में)

कार्य का नाम	**निर्माण कार्य की कुल लागत**	**लागत के अनुसार प्रभार सेंटेज चार्जेज**	**निर्माण कार्य पर अघ्यतन व्यय**	**अघ्यतन व्यय पर वसूलनीय सेंटेज चार्जेज**
नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी	` 279.19	` 25.12	` 101.63	` 9.14

इस प्रकार लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उक्त निक्षेप कार्य पर प्राकलन में न तो ` 25.12 लाख के सेंटेज चार्जेज भारित का प्रावधान किया गया और न ही अध्यतन व्ययों के सापेक्ष ` 9.14 लाख के सेंटेज चार्जेज की वसूली की गई थी।

प्रकरण को इंगित किए जाने पर खंडीय अभियंता द्वारा उत्तर दिया गया कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से सम्पर्क कर यह स्थापित किया जा रहा है कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान एक राजकीय विभाग है अथवा लोक विभाग, लोक निकाय होने की स्थिति में नियमानुसार सेंटेज चार्ज की वसूली की जायेगी। उत्तर अमान्य था क्योंकि उपरोक्त वर्णित वित्तीय प्रावधानों के अनुसार किसी निगम/स्थानीय निकाई किसी स्वायत निकाय द्वारा शासन की और से निष्पादित किए जाने वाले शासकीय कार्यों पर निधारित सेंटेज चार्जेज की वसूली की जाती है।

अतः प्रखण्ड द्वारा एवं स्वायत निकाय के लिए निष्पादित किए जा रहे निक्षेप कार्यों पर ` 25.12 लाख के सेंटेज प्रभारों का प्रावधान न किया जाना व ` 9.14 लाख सेंटेज प्रभारों को वसूल न किया जाना का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-3- ठेकेदार की जब्त/रोकी गयी दावारहित धनराशि ` 25.33 लाख को व्यपगत जमा के रूप में राजस्व खातें में जमा न करना।

वित्तीय एवं लेखानियम 189-190 के अनुसार ऐसी निक्षेप राशियां जो तीन वर्षों से अधिक निक्षेप में दावारहित पड़ी है, को मार्च माह के लेखाओं के संवरण के समय शासकीय खातें को व्ययगत जमा के रूप में क्रेडिट किया जाता होता है।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून को डेपोजिट पंजिका भाग-V की नमूना जांच में पाया गया कि ` 25.33 लाख की निक्षेप धनराशियों विगत 03 वित्तीय वर्ष से लेकर 14 वित्तीय वर्ष से ज्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात भी कार्यालय में पड़ी है। जबकि वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार निक्षेप की धनराशि शासकीय खातें में व्यपगत जमा के रूप में जमा किया जाना चाहिए था। जिसका अनुपालन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि बिंदु अनुपालन हेतु नोट किया। अतः इकाई के उत्तर से लेखापरीक्षा आपत्ति की स्वत पुष्टि होती है।

अतः ठेकेदार की जब्त/रोकी गयी धनराशि ` 25.33 लाख को राजस्व खातें में जमा नहीं करने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-V

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, उत्तरकाशी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

2. लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

(अ) शून्य

(I) **अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या**

3. सतत् अनियमितताएः-

(अ) शून्य

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया।

क्र.सं.	नाम	पद नाम
1.	श्री विभू विश्वमित्र रावत	अधिशासी अभियन्ता

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड, उत्तरकाशी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
(सामाजिक क्षेत्र)